निगरानी / एलआर / 398 / 2006 / जयपुर

बाबूलाल बनाम प्रभू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री गिरीश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी दिनांक : 17–07–2025 निर्णय यह निगरानी न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–10–2005 के विरूद्ध धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता की ग्राम गोनेर में स्थित आराजी खसरा नं. 2272 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा पर सम्वत् 2015 से खातेदारी चली आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिसल सं. 484 / 1970 दिनांक 09–06–1970 को छोटू पुत्र चन्दा खटीक को खसरा नं. 2282 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा 2 बिस्वांसी एवं खसरा नं. 2332 में 10 बीधा भूमि का आवंटन हुआ था। इस प्रकार कुल 14 बीघा 15 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते में से रकबा कम करते हुए अप्रार्थीगण के खाते में खसरा नं. 2282 में 4 बीघा 15 बिस्वा 2 बिस्वांसी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में 7 बीघा 17 बिस्वा अंकित कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता द्वारा इस बाबत् प्रार्थना पत्र दि0 16–09–1988 को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दि0 25–04–1989	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी साबिक खसरा नं. 2282 जिसके हाल खसरा नं. 2894, 2908, 2909 में से कुल रकबा 1.09 है0 भूमि अप्रार्थी छोटूराम के खाते से कम की जाकर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान कर दिये। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर के आदेश की पालना में प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण सं.34 दिनांक 11–05–1989 को स्वीकृत कर दिया गया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर के आदेश दिनांक 25–04–1989 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की अपील को मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर अपने आदेश दिनांक 20–11–1991 द्वारा खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 09–12–1994 द्वारा स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण गेंदीलाल वगैरह द्वारा भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 05–09–1995 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की। उक्त निगरानी याचिका दिनांक 27–05–2003 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–09–1995 को निरस्त किए जाने का आदेश पारित कर दिया। भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर द्वारा माननीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना किए बिना अपने आदेश दिनांक 24–10–2005 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 20–11–1991 एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के आदेश दिनांक 25–04–1989 व उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण दिनांक 27–09–1989 को खारिज करते हुए अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की गलत रूप से सहमति दर्शाते हुए देवा व छोटू जो अप्रार्थीगण के पिता व दादा है, के वारिसानों की जांच करने एवं मौके की विस्तृत जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को भेजे जाने के आदेश प्रदान कर दिये, जबकि उनके द्वारा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उनके समक्ष विचाराधीन अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था, जो नहीं कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–10–2005 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की निगरानी के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 23–11–2007 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें अप्रार्थीगण के पिता छोटू पुत्र चन्दा को साबिक खसरा नं. 2332 रकबा 10 बीघा दिनांक 16–09–1969 को आवंटन हुई थी तथा खसरा नं. 2282 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा 2 बिस्वांसी मिसल नं. 484 / 1970 को अप्रार्थी छोटू को आवंटन हुई थी, जो खाते में दर्ज थी। लेकिन खसरा नं. 2282 का रकबा बढ़ा हुआ है जिसे सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर द्वारा अपने निर्णय में अप्रार्थीगण के खसरा नंबर में से रकबा कम किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये हैं, वह तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23–11–2007 से स्पष्ट है। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से पक्षकारों की सहमति दर्शाते हुए प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जबकि तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हीं को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। माननीय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2001 आर.आर.टी. पेज 244 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सेटलमेन्ट विभाग को किसी की खातेदारी हटाने व रकबा कम ज्यादा दर्ज किए जाने का बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधिकार नहीं है। फिर भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण गलत रूप से तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–10–2005 को निरस्त किया जावे तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–1989 को यथावत रखने तथा उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण सं. 34 दिनांक 11–05–1989 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2005 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनाक 24–10–2005 द्वारा अप्रार्थीगण की अपील को स्वीकार करते हुए भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–1991 एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के आदेश दिनांक 25–04–1989 व 27–09–1989 को निरस्त करते हुए विवादित आराजी में मृतक देवा के वारिसान बाबत तथा मौके की विस्तृत जांच किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को प्रतिप्रेषित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि–''उभयपक्ष के अभिभाषकों ने बहस के दौरान बताया कि आदेश दिनाक 6.12.94 में अपीलार्थी देवा को स्व0छोटू का पुत्र बताते हुए अपील संख्या 189 / 91 का निर्णय दिया गया है परन्तु प्रकरण संख्या 126 / 94 के निर्णय दिनांक 5.9.95 में स्व0छोटू को जिन्दा बताया गया है। अप्रार्थी बाबूलाल की ओर से नजरसानी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसके उनवान में ''देवा'' (अपीलांट) को मरा बताते हुए उसने एक बार ''देवा'' को जिन्दा बताते हुए नजरसानी प्रार्थना पत्र का शीर्षक लिखा और उसके मरे हुए पिता को भी जिन्दा कर दिया, जो विरोधाभाषी है। अतः प्रकरण की विस्तृत जांच वास्ते अपील प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को रिमान्ड किया जावे।'' इससे स्पष्ट है कि उभय पक्ष के अभिभाषकगण द्वारा प्रकरण में विरोधाभाषी स्थिति होने से विस्तृत जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किये जाने बाबत सहमति प्रदान की थी एवं उसी के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मृतक देवा के वारिसान बाबत तथा मौके की विस्तृत जांच किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो उचित है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–10–2005 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	